

## राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

विवरण - 16

(करोड़ रुपए)

	बजट 2002-2003	संशोधित 2002-2003	बजट 2003-2004
<b>क. राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता</b>	<b>45361.08</b>	<b>44355.96</b>	<b>47458.40</b>
सामान्य केन्द्रीय सहायता	20172.00	18710.97	22484.16
गंदी बस्तियों का सुधार <sup>#</sup>	365.00	341.34	341.00
विशेष आयोजना सहायता	700.00	733.00	700.00
विशेष केन्द्रीय सहायता	1670.00	1735.15	1717.00
पर्वतीय क्षेत्र	160.00	160.00	160.00
जनजातीय उप-आयोजना	500.00	500.00	497.00
अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान	300.00	300.00	300.00
सीमावर्ती क्षेत्र	260.00	325.15	260.00
पूर्वोत्तर परिषद	450.00	450.00	500.00
विशेष केन्द्रीय सहायता	...	769.42	...
परिवर्ती कृषि नियंत्रण	20.00	20.00	20.00
संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास की स्कीम	1580.00	1580.00	1580.00
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	...	1577.00	...
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए			
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	6500.00	8721.00	6728.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए केन्द्रीय			
संसाधन पूल से सहायता	...	550.00	550.00
त्वरित सिंचाई लाभ स्कीम	2800.00	2800.00	2800.00
सड़कें और पुल	974.08	974.08	904.84
प्रधानमंत्री ग्रामोदय			
योजना (पीएमजीवाई)#	2800.00	2600.00	2766.00
(क) ग्रामीण सड़कें	...	...	...
(ख) ग्रामोदय के अन्य कार्यक्रम	2800.00	2600.00	2766.00
त्वरित विद्युत विकास			
कार्यक्रम	3500.00	1089.00	3500.00
ग्रामीण विद्युतीकरण	600.00	600.00	600.00
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
(एनएसएपी) (अन्नपूर्णा सहित)	680.00	680.00	676.00
शहरी आधारभूत ढांचा के सुदृढीकरण			
के लिए पहल	500.00	100.00	500.00
राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) <sup>@</sup>	2500.00	775.00	1450.00
किशोर बालिकाओं के लिए पोषाहार			
कार्यक्रम (एनपीएजी)	...	...	141.40
<b>ख. संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाएं</b>	<b>1268.00</b>	<b>1514.81</b>	<b>1364.00</b>
विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र	538.00	752.94	614.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	362.00	551.62	428.00
पांडिचेरी	176.00	201.32	186.00
विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	730.00	761.87	750.00
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	385.00	402.06	410.00
चंडीगढ़	160.00	165.58	168.00
दादरा और नगर हवेली	53.00	56.50	56.00
लक्षद्वीप	90.00	92.81	70.00
दमन और दीव	42.00	44.92	46.00
<b>कुल जोड़ (क+ख)</b>	<b>46629.08</b>	<b>45870.77</b>	<b>48822.40*</b>

# यह व्यवस्था राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के लिए है।

\* इसमें राज्य सरकारों (मांग संख्या 1, 27, 35, 76 और 92) को अनुदानों और ऋणों के रूप में 45878.40 करोड़ रुपए, संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को (मांग संख्या 55) अनुदानों और ऋणों के रूप में 614.00 करोड़ रुपए, विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों (मांग संख्या 93 से 97) में व्यय के रूप में 750.00 करोड़ रुपए और अन्य व्यय (मांग सं. 87) के रूप में 1580.00 करोड़ रुपए शामिल है।

@ पूर्ववर्ती विकास और सुधार सुविधा (डीआरएफ)।